राजस्थान सरकार

कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, भीलवाड़ा (राजस्थान)

क्रमांक : दिनांक :

—:: आदेश ::—

(राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 11(2) के अंतर्गत)

कार्यालय द्वारा जारी राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 11(1) के तहत जारी नोटिस क्रमांक : 203—22, दिनांक 31.03.2014 के साथ भावना क्रेडिट कॉ—ऑपरेटिव सोसायटी लि. भीलवाड़ा के आदर्श उपनियम संलग्न कर भिजवाते हुए उक्त आदर्श उपनियमों को आमसभा में अंगीकार कर सूचित कराने तथा उक्त आदर्श उपनियमों को अंगीकार करने में कोई आपत्ति हो तो 90 दिवस तक आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था किंतु निर्धारित अवधि तक कोई आपत्ति कार्यालय को प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त आदर्श उपनियमों को पंजीकृत करने का निर्णय लिया गया।

अतः मै अनिलकुमार काबरा, उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, भीलवाड़ा, राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा—11(2) के तहत मुझ में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको प्रेषित आदर्श उपनियमों को आज दिनांक 02.05.2014 को पंजीकृत करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 02—05—2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया गया।

संलग्नः पंजीकृत आदर्श उपनियम।

Sd

उप रजिस्ट्रार

सहकारी समितियां, भीलवाड़ा

क्रमांकः— फा.( ) 2068 दिनांक :— 13-5-14

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. श्रीमान् संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अजमेर खण्ड, अजमेर।
2. अध्यक्ष / सचिव भावना क्रेडिट कॉ—ऑप. सोसायटी लि. भीलवाड़ा, बड़े मंदिर के पास, लक्ष्मीनारायण कॉम्प्लेक्स, आसीन्द

Sd

उप रजिस्ट्रार

सहकारी समितियां, भीलवाड़ा

D:/Samit2012/Samit Section 2013

उक्त संशोधन आज दिनांक......29/4/2014
को पंजीकृत किये जाते है।

Sd/-
उप रजिस्ट्रार
सहकारी समितियां, भीलवाड़ा

लागू दिनांक 20.12.2013

उपनियम

भावना क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लि0, भीलवाड़ा

1. **नाम व पता :-**

इस सोसायटी का नाम भावना क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लि0 भीलवाड़ा होगा।
पता :
इस सोसायटी का पंजीकृत पता भावना क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लि0 भीलवाड़ा स्थान बड़े मंदिर के पास लक्ष्मीनाथ कालोनी आजादनगर ....डाकघर....................तहसील..........................जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) होगा।

2. **कार्यक्षेत्र :-**

इस सोसायटी का कार्यक्षेत्र अधिकतम एक इकाई अधिकारी के कार्यक्षेत्र तक सीमित होगा ।

3. **उद्देश्य :-**

इस संस्था के मुख्य उद्देश्य निम्नांकित होंगे :-

3.1 सदस्यों में एकता की भावना के साथ पारस्परिक सहायता की प्रवृति विकसित करना तथा मितव्ययता और बचत की आदत डालना एवं नियमित अनिवार्य बचतों के साथ उनकी ऐच्छिक बचतों को जमा करके उनका संरक्षण एवं उन्हीं के हित में सहयोग की व्यवस्था करना ।

3.2 केवल सदस्यों से जमाएं प्राप्त कर सदस्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की बचत योजनाओं को चलाना ।

3.3 सदस्यों के धन का विनियोजन करने के लिए उचित मार्गप्रशस्त करना ।

3.4 सदस्यों को उनकी घरेलू, सामाजिक, व्यापारिक एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उचित शर्तो पर ऋण देना।

3.5 समिति अपनी ऋण नीति के आधार पर अपने सदस्यों को ऋण देगी । इसके लिए आवश्यकतानुसार हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा नेट्वर्थ प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकेगी।

3.6 सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उचित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना, उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धरोहर सावधी जमा एवं ऋण के रूप में पूंजी एकत्रित करना।

3.7 अन्य ऐसे कार्य करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।

4. **सदस्यता :-**

4.1 जो राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 एवं नियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार सदस्य बनने की पात्रता रखता हो।

4.2 राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 2(ड), धारा 5.1(क) एवं धारा 15 की पालना सुनिश्चित करते हुए कोई भी व्यक्ति इस सोसायटी का सदस्य बन सकेगा, जिसे संस्था की सेवाओं की आवश्यकता हो, जो व्यस्क हो, संविदा करने में सक्षम हो तथा संस्था के कार्यक्षेत्र मे निवास करता हो एवं संस्था के दायित्वों का निर्वहन करने का इच्छुक हो।

कार्यालय उप रजिस्ट्रार सह. समितियां भीलवाड़ा

4.3 सदस्य बनाये जाने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को सदस्यता शुल्क 10/- रूपये जमा करवायेगा और सोसायटी का कम से कम एक हिस्सा क्रय करेगा जिसका मूल्य 100/- रूपये (एक सौ रूपये) मात्र होगा तथा निर्धारित प्रपत्र में संस्था को सदस्यता हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। सोसायटी इसका विधिवत रजिस्टर संधारित करेगी।

4.4 कोई भी व्यक्ति उस समय तक सदस्यता के अधिकार का प्रयोग करने का अधिकारी नहीं होगा, जब तक कि वह संस्था की उपविधियों व नियमों का पालन करने सम्बन्धी घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करता तथा सदस्यता शुल्क व कम से कम एक हिस्से की राशि जमा नहीं कराता है।

4.5 कोई सदस्य सोसायटी के संचालक मण्डल को दो माह पूर्व सूचना देकर संस्था से अपनी जमा हिस्सा राशि प्राप्त कर सदस्यता से पृथक हो सकता है, यदि वह संस्था का ऋणी नहीं हों अथवा किसी सदस्य के ऋण प्रतिभू (जामिन) नहीं हो, किन्तु शर्त यह है कि किसी एक वर्ष में हिस्सों की कुल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक की हिस्सा राशि की वापसी नहीं होगी।

<u>4.6 साधारण सभा द्वारा किसी सदस्य को निम्न आधार पर सोसायटी की सदस्यता से पृथक किया जा सकता है:-</u>

4.6.1 यदि वह ऋण या राशि का भुगतान निरन्तर समय पर नहीं कर रहा है।

4.6.2 यदि साधारण सभा की राय में उसने सोसायटी से कोई धोखा किया हो, अथवा सोसाइटी को वदनाम करने का या सोसाइटी को हानि पहुंचाने का प्रयास किया हो।

4.6.3 यदि उसे किसी अनैतिक आचरण का अपराधी ठहराया गया हो।

4.6.4 यदि वह किसी अन्य समान उद्देश्यों वाली किसी भी सहकारी सोसायटी का सदस्य बन गया हो।

4.7 प्रत्येक सदस्य अपने ऐसे उत्तराधिकारी का नाम, सोसायटी को लिखित में देगा, जिसे सदस्य की मृत्यु के पश्चात् हिस्से, तत्सम्बन्धित धन या अन्य धन, जो उसके नाम है, दिया जा सकेगा अथवा उसके नाम किया जा सकेगा।

<u>4.8 कोई भी व्यक्ति सोसायटी का सदस्य बनने का पात्र नहीं होगा यदि :-</u>

4.8.1 उसने दिवालिया अधिनिर्णत होने के लिए आवेदन कर दिया है अथवा दिवालिया है

4.8.2 उसे सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त अधिनिर्णत कर दिया है,

4.8.3 उसे किसी राजनैतिक अपराध अथवा किसी भी अपराध, जिसका नैतिक पतन ग्रस्त न हो के अतिरिक्त किसी भी अन्य अपराध के लिए दण्डित किया गया हो तथा ऐसे दण्ड को उल्टा न कर दिया हो अथवा क्षमा न कर दिया गया हो तथा दण्ड की अवधि को समाप्ति की तारीख से 5 वर्ष की अवधि समाप्त न हो गई हो।

4.8.4 यदि उस व्यक्ति का व्यवसाय सोसायटी की उपविधियों में वर्णित सोसायटी के व्यवसाय के विरूद्ध अथवा प्रतियोगी हो।

<u>4.9 किसी सदस्य की सदस्यता निम्नलिखित में से किसी एक कारण के होने पर समाप्त कर दी जावेगी :-</u>

4.9.1 मृत्यु होने पर ।

4.9.2 स्थाई रूप से निर्धारित कार्यक्षेत्र से बाहर चले जाने पर ।

4.9.3 उप नियम संख्या 4.6 के प्रावधानानुसार साधारण सभा द्वारा पृथक किये जाने पर ।

4.9.4 उसका त्याग-पत्र संचालक मण्डल द्वारा स्वीकार कर लिये जाने पर ।

4.9.5 विकृतचित्त हो जाने पर ।

4.9.6 समस्त हिस्सों को हस्तान्तरित कर देने या अपहृत कर लिये जाने पर ।

4.10 सदस्यता जारी रखने पर प्रतिबन्ध :-

4.10.1 किसी सदस्य की सदस्यता जारी रखने पर प्रतिबन्ध रहेगा, यदि उसने संस्था की लगातार तीन साधारण सभा की बैठकों में बिना किसी युक्तियुक्त कारण के भाग नहीं लिया हो।

4.10.2 यदि उसने सोसायटी की न्यूनतम सेवाओं का उपयोग लगातार 2 वर्ष तक नहीं किया हो।

4.10.3 उप नियम संख्या 4.10.1 व 4.10.2 में वर्णित अयोग्यता उत्पन्न होते ही वह व्यक्ति सोसायटी की अयोग्य सदस्य की श्रेणी में आयेगा, जिसके सदस्यता के अधिकार प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।

4.11 किसी व्यक्ति के सदस्यता संबंधी आवेदन को संचालक मण्डल नामंजूर करता है तो उसे साधारण सभा में एवं उसके बाद रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ के पास अपील करने का अधिकार होगा।

4.12 कोई पूर्व सदस्य अपनी सदस्यता नियमानुसार समाप्त हो जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व बिना संचालक मण्डल की अनुमति के सदस्यता हेतु पुनः आवेदन नहीं कर सकेगा। पुनः सदस्य बनाए जाने की स्थिति में उसे निष्कासन अवधि की नियमित अनिवार्य बचतों को एक मुश्त जमा कराया जाना आवश्यक होगा।

4.13 नाम मात्र एवं सहयुक्त सदस्यता राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 17 के प्रावधानानुसार प्रदान की जा सकेगी।

5. दायित्व :-

प्रत्येक सदस्य का उत्तरदायित्व उसके द्वारा क्रय किये हुये हिस्सों के मूल्य के पॉच गुणे तक सीमित होगा। समिति के भूतपूर्व सदस्यों की दशा में उनका दायित्व उस तारीख तक जिसको उनकी सदस्यता समाप्त हुई और किसी मृत सदस्य की दशा में उसकी मृत्यु की तारीख को विद्यमान ऋणों के लिए होगा। किसी सहकारी सोसायटी के किसी भूतपूर्व सदस्य का या किसी मृत सदस्य की सम्पदा का दायित्व दो वर्ष की कालावधि तक बना रहेगा।

6. निधियां :-

सोसायटी की निधियां निम्न प्रकार संग्रहित होगी -

6.1 सदस्यता शुल्क ।

6.2 सदस्यों की हिस्सा राशि ।

6.3 सदस्यों से अमानते प्राप्त करना ।

6.4 सुरक्षित अथवा अन्य कोष ।

6.5 लाभ, अनुदान तथा अन्य शुल्क ।

7. हिस्से :-

7.1 सोसायटी की न्यूनतम हिस्सा राशि 05 लाख रूपये होगी, जो 100/- रूपये के 05 हजार हिस्सों में विभक्त होगी ।

7.2 कोई भी सदस्य सोसायटी की हिस्सा पूंजी का 1/5 भाग अथवा 5 लाख रूपये मूल्य जो भी कम हो के हिस्से से अधिक क्रय नहीं कर सकेगा। पॉच लाख रूपये मूल्य से अधिक के हिस्से क्रय किये जाने संबंधी प्रावधान किये जाने से पूर्व रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, राजस्थान की स्वीकृति लिया जाना आवश्यक होगा।

7.3 सदस्यों की हिस्सा राशि का हिसाब सुचारू रूप से सदस्य रजिस्टर में रखा जावेगा, हर बार खरीदे हिस्सों का अलग प्रमाण-पत्र भी स्वीकृति के बाद तीन माह में दिया जायेगा। प्रत्येक हिस्सा प्रमाण-पत्र कम से कम रूपये 100.00 के मूल्य के हिस्सों पर दिया जावेगा। यदि संचालक मण्डल सदस्यों को पास बुक देने की व्यवस्था कर लें तो हिस्सा राशि की खतौनी उसमें भी की जावेगी। यदि हिस्सा प्रमाण-पत्र खो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो शपथ-पत्र देकर उसकी प्रतिलिपि 10 रूपये जमा कराने पर प्राप्त की जा सकती है।

7.4 प्रत्येक सदस्य उसकी मृत्यु की दशा में जमा शुदा राशि प्राप्त करने हेतु अपने उत्तराधिकारी या अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को लिखित में मनोनीत कर सकता है और उसके नाम का हिस्सा प्रमाण-पत्र हिस्सा आवंटन रजिस्टर/पासबुक में दर्ज करवा सकता है।

7.5 हिस्सा वापसी :-

उपनियम 4.6, 4.8, 4.9 व 4.10 के अधीन सदस्यता समाप्त हो जाने की स्थिति में सदस्य के हिस्सों के मूल्य का भूगतान उसके द्वारा सोसायटी को देय रकम काटकर किया जायेगा। किसी सदस्य की मृत्यु पर उसका हिसाब करने के बाद उसकी जमा राशि उसके मनोनीत को लौटा दी जावेगी। मनोनीत नहीं होने की दशा में संचालक मण्डल प्रचलित विधि के अनुसार विधिक उत्तराधिकारी को शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर भुगतान कर सकेगी।

कार्यालय उप रजिस्ट्रार सह. भीलवाड़ा

ऋण :-

संचालक मण्डल वार्षिक साधारण सभा द्वारा स्वीकृत सीमा के भीतर ब्याज की ऐसी दर पर जो संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित की जाये, अतिरिक्त रकम ऋणों तथा निक्षेपों के रूप में प्राप्त कर सकेगी। राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम, 2003 के नियम 61(1) के प्रावधानानुसार सोसायटी रजिस्ट्रार की पूर्व मंजूरी के

बिना अपनी समादत्त शेयर पूंजी, संचित आरक्षित निधि और भवन निधि में से संचित हानियों को घटाने के बाद रही कुल रकम के 10 गुना से अधिक का दायित्व उपगत नहीं करेगी।

9. **विनियोजन :-**

सोसायटी ऐसे प्रारूप में और ऐसे मानकों के अनुसार तरल संसाधन रखेगी, जो राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम, 2003 के नियम 68 के प्रावधानानुसार रजिस्ट्रार द्वारा समय समय पर साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियत किये जायेंगे। निधि का ऐसा भाग जिसकी उक्त उद्देश्यों के लिए तुरन्त आवश्यकता न हो, जो राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 49 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक में राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003 के नियम 56 के प्रावधानों की अनुपालना करते हुए विनियोजित करेगी :-

(1) केन्द्रीय सहकारी बैंक

(2) शीर्ष सहकारी बैंक

(3) शिड्यूल्ड बैंक **(Scheduled Bank)**

(4) परिसीमित दायित्व वाली किसी अन्य सहकारी सोसायटी द्वारा जारी किये गये शेयरों या प्रतिभूतियों या डिबेन्चरों में।

(5) नियमों द्वारा सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी अन्य प्रकार से।

(6) विकल्प 3 के अन्तर्गत विनियोजन सीमा ऐसी सोसायटी के संबंध में इस उपविधि के अन्तर्गत किये गये कुल विनियोजनों के 25 प्रतिशत होगी तथा इस सकल विनियोजन सीमा के भीतर किसी एक सोसायटी के संबंध में इस उपविधि के अन्तर्गत किये गए कुल विनियोजनों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये।

10. **सहकारी संस्था के अंतिम प्राधिकार :-**

10.1 सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के अधीन रहते हुए किसी सहकारी सोसायटी में अंतिम प्राधिकार साधारण सभा में निहित होगा।

10.2 साधारण सभा दो प्रकार की होगी :-

(अ) वार्षिक साधारण सभा ।

(ब) विशेष साधारण सभा ।

10.3 **वार्षिक साधारण सभा :-**

10.3.1 सोसायटी प्रति वर्ष अनिवार्य रूप से राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 25 एवं राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003 के नियम 30 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 मास की कालावधि के भीतर 15 दिवस का नोटिस देकर निम्नांकित प्रयोजनों के लिए साधारण सभा बुलायेगी :-

(क) आगामी वर्ष के लिए संस्था द्वारा तैयार किये गये संस्था के कार्यकलापों/कार्यक्रमों के अनुमोदन के लिए ।

(ख) सोसायटी के सदस्यों का राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित रीति से निर्वाचन यदि कोई हों, करने के लिए।

(ग) उपविधियों में संशोधन या परिवर्धन के लिये विशेष संकल्प द्वारा सहकारी विधान अनुसार इसी उद्वेश्य के लिए बुलाई गई साधारण सभा की बैठक में न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्यों से अधिक सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है तथा उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से संशोधन हेतु निर्णय किया जा सकेगा, परन्तु वे सहकारी विभाग द्वारा स्वीकृति एवं पंजीयन के बाद ही लागू होंगे।

(घ) ऑडिट रिपोर्ट तथा वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करने के लिए ।

(ड) शुद्ध लाभों के निवर्तन के लिए ।

(च) किसी अन्य मामले, जो उपविधियों के अनुसार रखे जाये, पर विचार करने हेतु ।

(छ) संचालक मण्डल के निर्णयों के विरूद्ध अपील सुनना ।

10.3.2 साधारण सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति साधारण सभा की बैठक के नोटिस की तारीख को सदस्य के रूप में विधमान सदस्यों की कुल संख्या के पांचवें भाग से होगी।

10.3.3 यदि गणपूर्ति के अभाव में साधारण बैठक नहीं की जा सकती हो, तो उसके लिए उसी दिन के, जो बैठक बुलाने के नोटिस में विनिर्दिष्ट किया गया हो, किसी पश्चात्वर्ती समय के लिए या किसी पश्चात्वर्ती तारीख के, जो सात दिन के पूर्व और पन्द्रह दिन के पश्चात् की न हो, स्थगित किया जायेगा और उसी स्थगित बैठक में मूल बैठक की कार्यसूची कारबार किया जायेगा, चाहे गणपूर्ति हो या नहीं, परन्तु यदि बैठक के लिए नियत समय के एक घण्टे के भीतर भीतर गणपूर्ति नहीं होती है तो राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन सदस्यों की अध्यपेक्षा पर बुलायी गयी बैठक किसी भी दशा में स्थगित नहीं की जायेगी, बल्कि विघटित की जायेगी।

10.3.4 यदि कार्यसूची में सभा का सम्पूर्ण कारोबार उस तारीख को नहीं किया जा सकता हो, जिसको कि साधारण बैठक की जाती है, तो बैठक को अन्य किसी भी ऐसी उपर्युक्त तारीख के लिए स्थगित किया जा सकेगा, जो कि बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा विनिश्चित की जाये तथा जो बैठक की तारीख से सात दिन पश्चात् की न हो।

10.3.5 प्रत्येक सदस्य का आम सभा में भाग लेना आवश्यक होगा। लगातार तीन सभाओं में विना युक्तियुक्त कारण के अनुपस्थित रहने वाले सदस्य के विरूद्ध समिति का संचालक मण्डल सदस्य को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् कार्यवाही करते हुए सदस्यता से पृथक कर सकती है। संचालक मण्डल के निर्णय के विरूद्ध अपील साधारण सभा में की जा सकेगी। साधारण सभा का निर्णय अन्तिम होगा।

10.3.6 यदि संचालक मण्डल या उसके किसी सदस्य के चुनाव हेतु साधारण सभा बुलाई जाती है, तो उसमें मत देने के अधिकारी वे ही सदस्य होंगे जो सभा की तिथि से 30 दिन पूर्व तक सदस्यता ग्रहण कर चुके होंगे।

10.4 विशेष साधारण सभा :-

10.4.1 सहकारी सोसायटी की समिति किसी समय संस्था की विशेष सामान्य सभा बुला सकेगी और ऐसी बैठक सदस्यों की ऐसी संख्या जो सदस्यों की कुल संख्या के पॉचवे भाग से कम न हो जो कि उपविधियों में निर्दिष्ट की जावे, की ओर से लिखित मांग की प्राप्ति के पश्चात् एक माह के भीतर बुलाई जायेगी।

10.4.2 यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट मांग के अनुसार सहकारी सोसायटी की विशेष बैठक नहीं बुलाई जाये तो, रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को उक्त बैठक बुलाने की शक्ति होगी और वह बैठक समिति द्वारा बुलाई गई बैठक मानी जावेगी।

10.4.3 रजिस्ट्रार को यह आदेश देने की शक्ति होगी कि उपधारा (2) के अधीन बैठक बुलाने के किये हुये व्यय संस्था की निधियों में से अथवा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जो रजिस्ट्रार की राय में बैठक बुलाने के लिये मना करने या बुलाने में विफल होने के लिए उत्तरदायी थें, भुगतान किया जायेगा।

11. बैठक का नोटिस :-

वार्षिक साधारण सभा एवं विशेष साधारण सभा की सूचना प्रत्येक सदस्य को डाक द्वारा अथवा समाचार पत्र में प्रकाशित कर दी जावेगी, जिसमें विचारणीय विषय, सभा की दिनांक, सभा का समय, स्थान का उल्लेख किया जावेगा। सामान्य सभा की सूचना पन्द्रह दिवस पूर्व दी जावेगी।

12. सोसायटी वार्षिक आम सभा एवं विशेष साधारण सभा की कार्यवाही सोसायटी की किताव कार्यवाही में प्रविष्ठ करेगी। यदि बैठक समाप्त होने के पश्चात् तुरन्त ही कार्यवृत तैयार न किया जाये और अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित न किया जाये तो बैठक समाप्त होने के 72 घण्टे के भीतर भीतर बिना किसी परिवर्तन या शुद्धियों के कार्यवृत तैयार किया जायेगा और मुख्य कार्यकारी और अध्यक्ष द्वारा उस पर हस्ताक्षर किये जायेंगे, जो उस बैठक की कार्यवाही का साक्ष्य होगा।

13. अव्यवस्था की दशा में अध्यक्ष बैठक निलम्बित कर सकेगा और उसे ऐसी तारीख या समय तक के लिये, जिसे वह उपनियम संख्या 10.3.4 में उपबन्धितानुसार नियत करें, स्थगित कर सकेगा।

14. संचालक मण्डल :-

14.1 सोसायटी के संचालक मण्डल में कुल 12 निर्वाचित सदस्य होंगे, जिसमें से एक-एक पद क्रमशः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं 2 पद महिलाओं हेतु आरक्षित होंगे। संचालक मण्डल के सदस्य सोसायटी की साधारण सभा द्वारा पॉच वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होंगे। प्रवन्ध समिति के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव व एक कोषाध्यक्ष का चुनाव करेंगे।

सोसायटी के संचालक मण्डल के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के निर्वाचन हेतु राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। संचालक मण्डल के निर्वाचन में राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 व नियम, 2003 एवं सहकारी विभाग के आदेशों, निर्देशों की पूर्ण पालना का दायित्व सोसायटी के संचालक मण्डल का होगा।

14.2 संचालक मण्डल का निर्वाचन राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 एवं राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003 के प्रावधानानुसार राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा। समिति के प्रत्येक सदस्य को, जिसमें राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है, एक मत देने का हक होगा।

14.3 संचालक मण्डल की बैठकों के लिये कोरम आधे से एक अधिक सदस्यों का होगा।

14.4 सोसायटी की उपविधियों में निर्दिष्ट प्रावधानों के विपरित कोई व्यक्ति संचालक मण्डल के सदस्य चुने जाने के निर्योग्य होगा। यदि ऐसा व्यक्ति :-

क- किसी समय सदस्य के रुप में अपने अधिकार को खो देता है। उपविधियों में वर्णित प्रावधानानुसार अधिकारों को जारी रखने मे असफल रहता है।

ख- बिना किसी युक्तियुक्त कारण के लगातार 3 साधारण सभा में अनुपस्थित रहता है।

ग- राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 व नियम, 2003 तथा उपविधियों में वर्णित निर्योग्यताओं से ग्रसित हो जाता है।

घ- कोई भी सदस्य सोसायटी की प्रबन्ध समिति अथवा संचालक मण्डल का सदस्य निर्वाचित या नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह सोसायटी द्वारा लिये गये किसी भी उधार के सम्बन्ध में किसी भी स्थिति में तीन मास से अधिक की कालावधि के लिए व्यतिक्रमी डिफाल्टर रहा है।

14.5 उप विधियों में वर्णित निर्योग्यताओं के अधीन रहते कोई सदस्य सोसायटी की प्रबन्ध समिति या संचालक मण्डल के सदस्य के रूप में बने रहने का पात्र नहीं होगा :-

(क) यदि बिना किसी युक्तियुक्त कारण के संचालक मण्डल की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहा हो।

(ख) यदि सामान्य सभा की तीन बैठक मे बिना अनुमति के अनुपस्थित रहा हो।

(ग) यदि उसे अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डित किया गया हो।

(घ) 18 वर्ष से कम आयु का हो ।

(ड) अनैतिक अपराध के लिए सजा पा चुका हो।

(च) सोसायटी के ऋण की निरन्तर तीन या अधिक किश्ते ना चुकाने का दोषी हो।

(छ) सोसायटी के व्यवसाय के समरूप कोई व्यवसाय करता हो।

(ज) सोसायटी व सदस्यों के हितों के विरूद्ध कार्य या धोखाधडी के लिए दोषी हो।

(झ) सोसायटी का वैतनिक कर्मचारी हो।

(ट) सोसायटी में प्रत्यक्ष रूप से लाभ का पद धारण करता हो।

यदि कोई सदस्य उपरोक्त में से किसी दोष से युक्त हो जाये तो वह सोसायटी की सदस्यता से पृथक समझा जायेगा। इसके लिए संचालक मण्डल की बैठक के प्रस्ताव पारित होना पर्याप्त होगा।

14.6 सोसायटी के प्रत्येक सदस्य एवं इसके कर्मचारी अपनी शक्तियों एवं कर्तव्यों का प्रयोग करते हुए:-

(क) ईमानदारी एवं निष्ठा से संस्था के हित में कार्य करेंगे।

(ख) ऐसी सावधानी एवं सतर्कता से कार्य करेंगे, जैसे कि किसी भी परिस्थितियों में किसी समझदार व्यक्ति से युक्तियुक्त आशा की जा सकती हों।

14.7 सोसायटी का प्रत्येक सदस्य या कर्मचारी जो धन राशि के उपयोग, विश्वास भंग या नियमानुसार किसी चूक या नियम विरुद्ध कार्य करने के परिणाम स्वरुप समिति का नुकसान पहुँचाता हो, तो वह कर्मचारी इस नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। यह उत्तरदायित्व इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही के अतिरिक्त होगा जो कि कानून के अन्तर्गत सम्भव हो।

14.8 उपविधियों के अध्यधीन रहते हुए संचालक मण्डल निम्न कार्य करने के लिए अधिकृत होगाः-

14.8.1 सदस्यता प्रदान करना एंवं हटाना, सदस्यों के त्याग पत्रों की स्वीकृति देना, अयोग्य सदस्यों को हटाना, दोषी सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करके साधारण सभा को सूचित करना।

14.8.2 सहकारिता अधिनियम के प्रावधानानुसार राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी के माध्यम से अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों का निर्वाचन करना ।

14.8.3 मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति करना एवं हटाना।

14.8.4 कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करना।

14.8.5 ऐसी नीतियां निर्धारित करना, जो सदस्यों के हित में हो।

14.8.6 सोसायटी के कर्मचारी की भर्ती एवं सेवाशर्तों के निर्धारण करना ।

14.8.7 कोषों के विनियोजन उपयोग एवं प्रबन्ध करना ।

14.8.8 लेखे संधारण के तरीके निर्धारित करना पूर्ण करना, यथा मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक लेखे आवश्यकतानुसार तैयार करना या कराना व स्वीकृत करना तथा सहकारी विभाग को भेजना, पंजीयक, सहकारीता विभाग के अधिकृत अधिकारियों को वांछित अभिलेख प्रस्तुत करना, अंकेक्षण कराना एवं अंकेक्षित लेखे व अंकेक्षण रिपोर्ट, आक्षेप पत्र पर अपने प्रतिवेदन व उत्तर सहित वार्षिक आमसभा में प्रस्तुत करना ।

14.8.9 सदस्यों को ऋण देना एवं इसके लिये व्याज दर निर्धारित करना एवं पर्याप्त प्रतिभूति लेना। सोसायटी के कारोबार के लिए वांछित पूंजी, अमानतों, ऋणों आदि के रूप में स्वीकृत साख सीमा के अन्तर्गत एकत्रित करना एवं उसके लिए समुचित ब्याज दर तय करना, जो सोसायटी के साधनों व जरूरतों के अनुसार बढ़ाई बढाई जा सकेगी। सदस्यों से वार्षिक अनिवार्य जमा लेने हेतु मानदंड तय करना व साधारण सभा से पुष्टि कराना। सदस्यों को निर्धारित उद्धेश्यों हेतु ऋण वितरण की स्वीकृति प्राथमिकता से क्रम से देना व वसूली की मासिक प्रगति की समीक्षा करना। अमानतों व ऋण पर व्याज साधारण सभा द्वारा संस्था के आय व्ययों, अमानतों की लागत एवं सोसायटी के हितों को दृष्टिगत रखते हुए तय करना।

14.8.10 वैधानिक रिटर्नस् सहित सूचना प्रणाली का प्रबन्ध एवं संचालन करना।

14.8.11 सहकारी सोसायटी के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक अन्य सभी बिन्दुओं को निर्धारित करना। सहकारी विभाग के सामयिक परिपत्रों व निर्देशों को प्राप्त करना व उन पर विचार विमर्श कर लागू करना व आवश्यक हो तो टिप्पणी के साथ साधारण सभा को प्रस्तुत करना।

14.8.12 साधारण सभा के अनुमोदन हेतु बजट, वार्षिक योजना वित्तीय लेखें, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

14.8.13 अन्य सहकारी सोसायटी की सदस्यता ग्रहण करना ।

14.8.14 सोसायटी अपनी तरलता बनाये रखने के लिए कुल जमाओं का कम से कम 10 प्रतिशत किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक), अधिसूचित बैंक (**Scheduled Bank**) अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधी जमा के रूप में रखेगी ।

14.8.15 ऑडिट रिपोर्ट एवं इसकी पालना करना तथा सामान्य सभा के समक्ष प्रस्तुत करना।

14.8.16 ऐसे अन्य सभी कार्य जो साधारण सभा द्वारा प्रत्यायोजित किये जावे ।

14.9 अध्यक्ष सोसायटी की बैठकों एवं साधारण सभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष संस्था की बैठक की अध्यक्षता करेगा, उपाध्यक्ष की भी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अन्य सदस्य को अध्यक्षता करने हेतु चुन सकेंगे।

14.10 सोसायटी अपने निर्णय बहुमत के आधार पर लेगी। किसी विषय पर बराबर मत हो तो बैठक की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष को सामान्य मत के अलावा निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

14.11 संचालक मण्डल आवश्यकतानुसार 7 दिवस की पूर्व सूचना देकर बैठक बुला सकेगा। परन्तु उसे तीन माह में कम से कम एक बार बैठक बुलानी आवश्यक होगी, जिसकी पूर्व सूचना प्रत्येक सदस्य को आवश्यक रूप से दी जायेगी।

14.12 संचालक मण्डल के सदस्य अथवा पदाधिकारी के किसी पद की आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति संचालक मण्डल की बैठक में सहवरण द्वारा निर्वाचन की शेष अवधि के लिये की जायेगी।

14.13 कोई भी सदस्य किसी ऐसे विषय पर जिसमें उसका व्यक्तिगत हित निहित हो, उपस्थित नहीं रहेगा व मतदान नहीं करेगा।

14.14 संचालक मण्डल/साधारण सभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदस्यों की उपस्थिति दर्ज की जाकर गणपूर्ति का निश्चय किया जायेगा। सभा में प्रस्तुत विचारित व निर्णय सभी विषयों का विवरण किताब कार्यवाही में अंकित किये जावेंगे, सभा समाप्ति के बाद 72 घंटे के भीतर उक्त विवरण कार्यवाही रजिस्टर में निर्णय लिखे जाने के बाद अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी उस पर प्रमाण स्वरूप अपने हस्ताक्षर करेंगे।

14.15 संचालक मण्डल की बैठक का नोटिस 7 दिवस पूर्व दिया जावेगा, जिसमें विचारणीय विषय, बैठक की दिनांक, समय एवं स्थान का उल्लेख किया जावेगा।

सोसायटी के संचालक मण्डल के सदस्यों को संचालक मण्डल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु अधिकतम 450/- रूपये देय होंगे। संचालक मण्डल उक्त निर्धारित दर से कम सिटिंग फीस निर्धारित करने के लिए स्वतन्त्र होगा। इसका भुगतान संस्था के लाभ-हानि खाते से किया जायेगा।

14.16 <u>अन्य सहकारी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व :-</u>

अन्य सहकारी संस्थाओं में संस्था का प्रतिनिधित्व संस्था के अध्यक्ष द्वारा तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

15. <u>अध्यक्ष :-</u> अध्यक्ष के निम्न अधिकार व कर्तव्य होंगे :-

15.1 संचालक मण्डल, साधारण सभा एवं अन्य समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना कार्य संचालन तथा अन्य आवश्यक कार्य निपटाना। सभाओं का कार्य विवरण लिखवाना व मुख्य कार्यकारी के साथ साथ उसके सही होने के प्रमाण स्वरूप किताब कार्यवाही में हस्ताक्षर करना ।

15.2 सोसायटी के समस्त कार्यकलापों की निगरानी एवं पर्यवेक्षण करना तथा आवश्यकतानुसार सोसायटी की ओर से लिखे जानें वाले दस्तावेजों पर मुख्य कार्यकारी के साथ साथ हस्ताक्षर करना।

15.3 यह सुनिश्चित करना कि मुख्य कार्यकारी संचालक मण्डल के निर्देशों एवं सोसायटी के उद्देश्यों के अनुसार कार्य कर रहा है।

15.4 स्वीकृत बजट के अन्तर्गत सोसायटी में होने वाले सभी व्ययों की स्वीकृति देना/अनुमोदन करना।

15.5 मुख्य कार्यकारी द्वारा किये गये कार्य विवरण को चैक करना तथा संचालक मण्डल को अवगत करवाना।

15.6 कानूनी अभिलेखों, बिलों, बैंक धनादेशों आदि पर अन्य पदाधिकारियों के साथ हस्ताक्षर करना।

15.7 सोसायटी के कार्य संचालन में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001, नियम, 2003 व सहकारी विभाग के आदेशों/निर्देशों, परिपत्रों की जानकारी संचालक मण्डल को अवगत करवाकर उनकी पूर्ण पालना सुनिश्चित करवाना।

कार्यालय उप रजिस्ट्रार भीलवाड़ा

लागू दिनांक 20.12.2013

16. उपाध्यक्ष :-

16.1 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके समस्त अधिकारों का प्रयोग व कर्तव्य निर्वाह करना।

16.2 अन्य अधिकारियों के साथ सोसायटी के अभिलेखों, धनादेशों, हिस्सा प्रमाण-पत्रों आदि पर हस्ताक्षर करना।

17. मुख्य कार्यकारी :-

मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति संचालक मण्डल द्वारा की जावेगी। मुख्य कार्यकारी के कर्तव्य तथा अधिकार निम्नलिखित होंगे :-

17.1 सोसायटी के हिसाब किताब तथा अन्य रजिस्टर तिथिवार व विधिवत पूर्ण रखना तथा अध्यक्ष एवं संचालक मण्डल के किसी सदस्य द्वारा अथवा सहकारी विभाग द्वारा चाहे जाने पर सम्बन्धित रिकार्ड व सूचनाएं उपलब्ध करवाना।

17.2 संचालक मण्डल की स्वीकृति के अनुसार स्वीकृत बजट के अन्तर्गत व्यय करना ।

17.3 साधारण सभा तथा संचालक मण्डल की नियमानुसार बैठके बुलाना ।

17.4 साधारण सभा तथा संचालक मण्डल की बैठकों में उपस्थित रहना। कार्य विवरण रजिस्टर में लिखना और सत्यता के प्रमाण स्वरूप उस पर अध्यक्ष के साथ हस्ताक्षर करना एवं लिये गये निर्णयों की अनुपालना करना ।

17.5 सोसायटी की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना व लिखित दस्तावेज आदि पर हस्ताक्षर करना।

17.6 वार्षिक हिसाब तथा अन्य आवश्यक नक्शे आदि संचालक मण्डल, साधारण सभा व सहकारी विभाग को प्रस्तुत करना।

17.7. कार्य समिति द्वारा दिये गये ऋण को उपयुक्त रूप से वसूल किये जाने की देखरेख करना तथा समय पर वसूली का प्रबन्ध करना।

17.8 सोसायटी के कार्य संचालन में राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 नियम, 2003 व सहकारी विभाग के आदेशों/निर्देशों, परिपत्रों की जानकारी संचालक मण्डल/साधारण सभा को अवगत करवाकर उनकी पूर्ण पालना सुनिश्चित करना।

17.9 सोसायटी का रिकार्ड सुरक्षित रखना।

17.10 कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, अवकाश स्वीकृत करना एवं अन्य कार्मिक संबंधी कार्य करना।

17.11 सोसायटी का प्रति वर्ष रजिस्ट्रार से निरीक्षण कराना सुनिश्चित करना।

17.12 अन्य ऐसे कार्य जिन्हें संचालक मण्डल व साधारण सभा द्वारा सौंपे जावें।

18. जमाएँ :-

18.1 सोसायटी की ओर से निर्धारित एजेन्ट का उस सोसायटी का सदस्य होना आवश्यक होगा।

18.2 सोसायटी की जमाओं को डिपोजिट गारंटी स्कीम के रूप में बीमित किया जाएगा। सोसायटी जमाओं का बीमा बीमा कार्य करने वाली प्रतिष्ठित बीमा कम्पनी से कराने का प्रयास करेगी।

18.3 सदस्यों से मासिक अनिवार्य बचतों के अलावा भी सदस्य की मांग पर या संचालक मण्डल उचित समझे तो ऐच्छिक बचत खाते खोले जाकर उनकी तात्कालिक बचतें जमा की जा सकेगी। जिनका प्रथम बार एक माह

बाद तथा हर त्रेमास में एक बार ही निकाला जा सकेगा। प्रत्येक खाते में उसे न्यूनतम जमा रूपये 100/- रखना होगा तथा बाद में उसे बनाये रखना होगा।

18.4 राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003 के नियम संख्या 61 की पालना के लिए संचालक मण्डल का पूर्ण दायित्व होगा। सोसायटी में जमा शुदा हिस्सा राशि से दस गुना से अधिक जमाएं किसी भी स्थिति में एकत्रित नहीं की जा सकेगी। इसकी पालना की समीक्षा समय समय पर संचालक मण्डल द्वारा की जावेगी। सीमित दायित्व वाली कोई भी सोसाइटी रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉं,राजस्थान की पूर्व मंजूरी के बिना अपनी समादत्त शेयर पूंजी, संचित आरक्षित निधी और भवन निधी में से संचित हानी को घटाने के बाद रही कुल रकम के दस गुने से अधिक का दायित्व उपगत नहीं करेगी अर्थात सोसाइटी द्वारा अपने उपर 10 गुना से अधिक राशि उपगत करने के लिए रजिस्ट्रार की मंजूरी लिया जाना आवश्यक होगा।

18.5 ऋण नीति/जमाओं की नीति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन वार्षिक साधारण सभा की स्वीकृति आवश्यक होगी जिसका अनुमोदन रजिस्ट्रार से करवाया जायेगा।

18.6 सोसायटी द्वारा समाचार पत्रों, बोर्डो आदि पर इस प्रकार का लेख नहीं किया जावेगा, जिससे यह आभास हो कि सोसायटी सरकार द्वारा नियंत्रित या संचालित है।

19. सदस्यों को ऋण वितरण :-

19.1 सोसायटी केवल अपने सदस्यों को ही ऋण दे सकेगी। किन्तु एक ऋणी को सोसायटी की कुल जमा की दस प्रतिशत से अधिक राशि ऋण के रूप में नहीं दी जा सकेगी।

19.1.1 ऋण नीति संचालक मण्डल द्वारा बनाई जाकर इकाई अधिकारी को प्रस्तुत की जावेगी तथा वेबसाइट पर अपलोड की जाकर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जावेगी। यदि इकाई अधिकारी के कार्यालय स्तर पर कोई आपत्ति, सुझाव अथवा आक्षेप प्राप्त होते हैं तो तदनुसार उसका विवेचन किया जाकर संशोधन किया जा सकेगा। अन्यथा स्थिति में ऐसी ऋण नीति इकाई अधिकारी कार्यालय को प्राप्त होने के एक माह की अवधि के पश्चात् स्वतः लागू मानी जावेगी। ऋण नीति की एक प्रति साधारण सभा के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जावेगी।

19.2 प्रत्येक ऋण योजना में न्यूनतम एवं अधिकतम दिये जाने वाले ऋणों की शर्तें एवं सीमा निर्धारित की जावेगी और उन्हीं शर्तो पर ऋण दिया जावेगा। ऋण आवश्यक और उचित उद्देश्यों के लिये संचालक मण्डल द्वारा मंजूर किया जा सकेगा और उन्हीं कार्यो में लगाया जायेगा, जिनके लिये स्वीकृत हुआ है, यदि ऋण का दुरूपयोग किया जाता है तो संस्था तुरन्त ऋण की एकमुश्त रकम वापस मांग सकती है। संचालक मण्डल द्वारा ऋण स्वीकृति में पूर्ण सावधानी बरती जावेगी।

19.3 यदि कार्य समिति को किसी भी समय यह प्रतीत हो कि जमानत अपर्याप्त हो गयी है तो ऋण प्राप्तकर्ता को एक माह के भीतर अतिरिक्त जमानत देने के लिये या ऋण की रकम वापिस लौटाने के लिये बाध्य करने का अधिकार होगा।

19.4 सदस्यों को दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर समय समय पर सोसायटी के संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित की जायेगी। सदस्यों के ऋण नहीं चुकाने का दोषी होने पर साधारण ब्याज के अतिरिक्त जुर्माने स्वरूप अतिरिक्त ब्याज वसूल किया जा सकेगा, जो निर्धारित ब्याज के अलावा 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

19.5 जब कोई सदस्य सोसायटी से ऋण लेता है या जामिन बनता है तो वह उस समय तक सदस्यता से त्याग पत्र नहीं दे सकेगा, जब तक कि वह अपने दायित्व से मुक्त न हो जाये।

19.6 सोसायटी अपनी लैण्डिंग पॉलिसी बनायेगी तथा रूल्स ऑफ बिजनेस एवं डिपोजिट पॉलिसी बनायेगी तथा उन्हें सार्वजनिक करेगी। लैण्डिंग पॉलिसी में समस्त प्रकार के वितरण किये जाने वाले ऋणों का विवरण एवं उन पर लिये जाने वाले ब्याज की दरों का उल्लेख किया जावेगा।

20. लाभों का वितरण :-

सोसायटी द्वारा लाभों का वितरण राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 48 के प्रावधानानुसार किया जावेगा। वास्तविक लाभ का कम से कम 1/4 (25 प्रतिशत) भाग सुरक्षित कोष में तथा एक प्रतिशत सहकारी शिक्षा कोष में रखा जायेगा। शेष बचा हुआ लाभ आम सभा की स्वीकृति के पश्चात् रजिस्ट्रार की स्वीकृति लेकर नीचे लिखे अनुसार बांटा जायेगा :-

20.1 अधिक से अधिक 10 प्रतिशत लाभ उन हिस्सों पर दिया जायेगा जो पूरे वर्ष तक सोसायटी में रहे हों। जो हिस्से 6 माह से अधिक और एक वर्ष से कम तक रहे हों उन पर केवल 6 माह का लाभांश दिया जायेगा।

20.2 कर्मचारियों को विनिर्दिष्ट सीमा तक और रीति से बोनस का संदाय ।

20.3 बट्टा खाता कोष में शेष रहे लाभ का 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

20.4 **राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 48(1)(ख) के अनुसार शुद्ध लाभ में से एक प्रतिशत सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण कोष में जमा कराएगी।**

20.5 पूर्त विनियास अधिनियम, 1890 (1890 का केन्द्रीय अधिनियम,06) की धारा 2 में यथा परिभाषित किसी पूर्त प्रयोजन के लिये या सहकारी आंदोलन को समर्पित किसी हेतुक के लिए शुद्ध लाभ के 10 प्रतिशत से अनधिक की रकम का संदाय अर्थात् 10 प्रतिशत से अधिक की राशि पूर्त प्रयोजन **(charity) हेतु नहीं दे सकेगी।**

20.6 सोसायटी द्वारा अपने लाभों का विनियोजन राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम, 2003 के नियम 69 के अनुसार किया जावेगा।

21. लेखे तथा रजिस्टर :-

कार्य संचालन के लिये सोसायटी में निम्न लिखित रजिस्टर होंगे:-

1. कार्य विवरण रजिस्टर,
2. सदस्य रजिस्टर एवं हिस्सा रजिस्टर,
3. रोकड बही,
4. खाता बही,
5. रसीद बुक, प्रमाणक, बैंक पासबुक आदि ।
6. सदस्यों के ऋण आवेदन पत्रों की पंजिका ।
7. वार्षिक सार संग्रहः जिसमें खाते का वर्षफल शेष लेनदेन एक स्थान पर संग्रह किया जायेगा तथा वार्षिक कारोबार के नक्शे अंकित किये जायेंगे ।
8. अन्य आवश्यक रजिस्टर जो कार्य समिति में या सहकारी विभाग द्वारा आवश्यक समझे जावे, रखे जायेंगे।

सोसायटी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 मास के भीतर-भीतर रजिस्ट्रार को निम्नलिखित विवरणियां फाईल करेगी, अर्थात् :-

1. अपने क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट,
2. अपने लेखाओं की लेखा परीक्षित रिपोर्ट,
3. अधिशेष के व्ययन के लिये योजना, जो सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित हो,
4. सोसायटी की उपविधियों में संशोधनों, यदि कोई हो, की सूची,
5. अपने साधारण निकाय की बैठक आयोजित करने की तारीख और निर्वाचन कों, जब नियत हो, संचालन करने के बारे में घोषणा,
6. ऐसी अन्य सूचना, जिसकी रजिस्ट्रार समय समय पर अपेक्षा करे।

22. ऑडिट :-

22.1 सोसायटी अपने लेखों का अंकेक्षण सहकारी अधिनियम, 2001 की धारा 54 के अनुसार साधारण सभा द्वारा अनुमोदित विभागीय लेखा परीक्षक या चार्टर्ड एकाउंटेन्ट में से किसी एक से वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 मास के भीतर संकल्प पारित कर करवायेगी।

22.2 प्रत्येक वार्षिक बैठक में सोसाइटी रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित रीति से वर्ष के संबंध में पक्का चिट्ठा (बैलेन्स शीट) और लाभ-हानि लेखे प्रस्तुत करेगी तथा उन लेखों की एक प्रति रजिस्ट्रार को आवश्यक रूप से भेजी जावेगी एवं अपने वार्षिक स्टेटमेंट बैंकों की भांति प्रतिष्ठित समाचार पत्र में प्रकाशित करेगी।

23. विविध :-

23.1 सोसायटी के कार्यक्षेत्र का विस्तार एक इकाई अधिकारी के कार्यक्षेत्र से अधिक परन्तु सम्पूर्ण राजस्थान से कम किये जाने के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ,राजस्थान से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा जिसके लिए सोसायटी द्वारा निम्न शर्तो की पालना की जानी आवश्यक होगी :-

(अ) ऐसा प्रस्ताव संबंधित इकाई अधिकारी एवं खण्डीय अधिकारी की अनुशंसा पश्चात् रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जायेगा।

(ब) एक जिले से अधिक जिलो के लिए सोसायटी की न्यूनतम हिस्सा राशि 25 लाख से अधिक होगी।

(स) पंजीकृत जिले से अधिक जिलो में कार्यक्षेत्र बढाने हेतु आवेदन करते समय सोसायटी की न्यूनतम डिपॉजिट 01 करोड रूपये होगी।

(द) सोसायटी के कार्यक्षेत्र में वृद्धि के पश्चात् सोसायटी द्वारा प्रत्येक नये जिले में न्यूनतम 100 सदस्य बनाया जाना आवश्यक होगा।

23.2 हिसाब व लेखा का रख रखाव ऐसे प्रारूपों में जो सहकारी विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा में रखा जावेगा। यह प्रारूप राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 व नियम, 2003 व उपनियमों के अनुरूप एवं सुसंगत होगा।

23.3 अध्यक्ष अथवा संचालक मण्डल का एक या अधिक सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैसा कि संचालक मण्डल अधिकृत करे, का सोसायटी की ओर से अभिलेख निष्पादन, रसीद देने, अंश प्रमाण-पत्र हस्ताक्षर करने बैंक से व्यवहार करने का अधिकारी होगा। जबकि सोसायटी द्वारा दी जाने वाली सभी रसीदें संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जावेगी।

लागू दिनांक 20.12.2013

23.4 रजिस्ट्रार ऐसी सोसायटी की समिति के सदस्यों के बहुमत या सोसायटी के कुल सदस्यों की संख्या के दसवें भाग से अन्यून के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, या तो स्वयं, या अपने लिखित आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के जरिये सोसायटी के गठन, अवधि विशेष में किये गए कारोबार और वित्तीय स्थिति के बारे में जॉच कर सकेगा।

23.5 अन्य कोई प्रावधान जो उपनियमो में वर्णित नहीं है, के संबंध में राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 एवं नियम, 2003 के प्रावधान लागू होंगे।

23.6 सोसायटी का समापन राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 व नियम, 2003 में वर्णित प्रावधानानुसार किया जा सकेगा।

23.7 समिति अपना कम्प्यूटराईजेशन कर समस्त वैधानिक सूचनाऍ वेबसाइट पर अपलोड करेगी।

उक्त संशोधन आज दिनांक 29/4/2014 को पंजीकृत किये जाते है।

उप रजिस्ट्रार
सहकारी समितियां, भीलवाड़ा

कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां भीलवाड़ा